न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–448/17 (आरसीएमएस नं. 2017/000412)

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रामजीलाल पुत्री स्व. श्री मन्ना, उम्र 45 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम पालडी मीना, आगरा रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री हनुमान पुत्री स्व. श्री मन्ना, उम्र 38 वर्ष, जाति रैगर, निवासीयान ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम पालडी मीना, आगरा रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. नाथीदेवी पत्नी श्री छीतरमल पुत्री स्व. श्री मन्ना, जाति रैगर, निवासी ग्राम नरेना, तहसील सांभर, जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. मन्ना लाल, जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजेश कुमार पुत्र सुवालाल तथाकथित दत्तक पुत्र छीतरमल, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 05.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 29.11.2017 (प्रकरण संख्या 131/17) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने एक अपील संख्या 131/2017 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि आराजी खसरा नम्बर 630 लगायत 634 व 636 कुल किता 6 रकबा 3.88 हैक्टयर वाके ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 10.05.2017 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती नाथीदेवी के नाम तहसीलदार सांगानेर द्वारा विधि विरूद्ध तथा खातेदार के वारिसान की बिना जॉच किये ही तस्दीक कर दिया जो कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है जिसकी सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की भूमि स्व0 मन्ना पुत्र श्री भूरा के नाम से दर्ज रही है तथा तहसीलदार द्वारा मृतक मन्ना के विधिक वारिसान की बिना जॉच एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी मृतक व्यक्ति के समस्त वारिसान ही होते है तथा मृतक खातेदार श्री मन्ना के समस्त वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक न कर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती नाथी देवी के नाम तस्दीक किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी गौर नही किया और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, बिना विधिक विवेके के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2017 पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष विचाराधीन है जिसकी जानकारी तहसीलदार सांगानेर व अधीनस्थ न्यायालय एवं सभी पक्षकारान को है उक्त वाद मे यह तय होना अभी बाकी है कि स्व. मन्ना की बाद उक्त भूमि के खातेदार कौन है जिसकी बकायदा तनकी बनी है जिसकी जानकारी सभी पक्षकारान को भली भांति है तथा अधीनस्थ के समक्ष उक्त दस्तावेजात पेश करने के बावजूद तहसीलदार ने विवादित नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है, जो कि बिलकूल विधि सम्मत नही है तथा सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि मृतक खातेदार मन्ना की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके पुत्र छीतरमल जो कि नाआलौद था उसकी भी मृत्यु दिनांक 09.04.1995 को हो गयी थी तथा उसकी पत्नी श्रीमती उमराव देवी का भी निधन हो चुका है, इस प्रकार स्व. छीतरमल जी के हिस्से की भूमि किसी भी प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती नाथी देवी के हक व अधिकार में नही आ सकती उसके बावजूद भी तहसीदार सांगानेर ने विवादित नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है, जो कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मृतक मन्ना के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार तथा मृतक छीतर नाआलौद फौत हो चुका जिसने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही की है, न ही उन्होने किसी को गोद लिया है तथा उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है इसलिये उक्त विवादित भूमि के खातेदार मृतक मन्ना के वारिसा ही हो सकते है केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती नाथीदेवी किसी भी प्रकार अकेली वारिस नही हो सकती उसके बावजूद भी तहसीलदार ने विवादित नामान्तरकरण तस्दीक दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही गैरकानून तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 व नामान्तरकरण संख्या 860 वाके ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा विरासत के आधार पर भरा जाकर स्व. छीतर की जायन्दा बहन के पक्ष में स्वीकार किया गया है जिसमें कोई गलती नही की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और ना ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससें की उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा या अधिकार स्पष्ट जाहिर होता हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन व तथ्यहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार सांगानेर द्वारा स्व. छीतरमल के विधिक वारिसान की कोई जॉच नही की गई तथा बिना वारिसान की जॉच व बिना वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 स्व. छीतरमल का दत्तक पुत्र है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने के बावजूद भी उन्होने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से मिलीभगत कर नामान्तरकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया है, जो निरस्तनीय है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर स्व. छीतरमल के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम तस्दीक फरमाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार छीतरमल पुत्र मन्ना की मृत्यु होने पर उसकी बहन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाथीदेवी पुत्री मन्ना के नाम ''न्याय आपके द्वार'' अभियान 2017 में विवादित आराजी का विरासती नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 10.05.17 को स्वीकार किया गया है जबकि अपीलान्ट्स अपने आपको स्व. मन्ना की पुत्रीयॉ होना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 खातेदार का दत्तक पुत्र होना कथन कर आ रहे है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा विवादित नामान्तरकरण मृतक खातेदार के वारिसान की बिना जॉच किये एवं उसके वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तस्दीक किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है तथा पक्षकारान के मध्य दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक, हकूक,

P.T.O.

अधिकारों की घोषणा होना अभी बाकी है ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 10.08.2017 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 को एवं नामान्तरकरण संख्या 860 वाके ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.17 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।